

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 297/2022 (2022/787)

खेमचन्द लोढा पुत्र नारायणलाल लोढा जाति महाजन निवासी केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

—वादी

♠ बनाम ♠

बदाम देवी पत्नि रामनिवास माली निवासी पुराना कोटा रोड बालाजी मंदिर के पास केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर

सुशील कुमार पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी धून्धरी घाटी रोड अजमेर जिला अजमेर

जस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी जिला अजमेर

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53,88,188,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

स्थित:-

1. श्री सांवरलाल चौधरी - अधिवक्ता वादी
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी

आदेश

दिनांक 19/07/23

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादपत्र अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम वाके ग्राम केकड़ी तहसील केकड़ी के खाता संख्या नया पुराना 0-2448 के खसरा नम्बर 2661/8534 रकबा 0.15 हैक्टर का निर्णय व प्रारंभिक डिकरी दिनांक 04.04.2023 को जारी कर बटवारा करने हेतु तहसीलदार केकड़ी को मौका कमिश्नर को भेजा गया था। तहसीलदार केकड़ी ने बटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
खेमचन्द पुत्र नारायण लाल जाति महाजन सा0देह खातेदार	2661/8534/1	0.0643	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0643 है0	
बदाम देवी पत्नि रामनिवास जाति माली सा0देह खातेदार	2661/8534/2	0.0107	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0107 है0	
सुनिल कुमार पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति शर्मा सा0देह खातेदार	2661/8534/3	0.0750	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0750 है0	

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव मे वादी एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा अलग-अलग रंग से चिन्हित किया गया है। तहसीलदार केकड़ी द्वारा अवगत कराया गया कि पक्षकारान खेमचन्द पुत्र नारायण लोढा, बदाम देवी पत्नि रामनिवास माली मोके पर उपस्थित है। अतः पक्षकारान को सुना गया।



उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

वकील वादी ने वादपत्र में अंकित कथनों को दोहराया। पक्षकारान के अधिवक्ताओं ने काशत अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु सहमति जाहिर की है।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपलब्ध दस्तावेजात व तहसीलदार केकडी द्वारा बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया। वकील पक्षकारान की बहस पर गौर किया। तहसीलदार केकडी द्वारा प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार बंटवारा किया जाता है:-

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
खेमचन्द पुत्र नारायण लाल जाति महाजन सा0देह खातेदार	2661/8534/1	0.0643	बा.उत्तम
बदाम देवी पत्नि रामनिवास जाति माली सा0देह खातेदार	किता 1	रकबा 0.0643 है0	
बदाम देवी पत्नि रामनिवास जाति माली सा0देह खातेदार	2661/8534/2	0.0107	बा.उत्तम
सुनिल कुमार पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति शर्मा सा0देह खातेदार	किता 1	रकबा 0.0107 है0	
सुनिल कुमार पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति शर्मा सा0देह खातेदार	2661/8534/3	0.0750	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0750 है0	

तहसीलदार केकडी राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में अलग अलग खाते व लगाम कायम इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा फरिक्तेन अपना-अपना वहन करें।
निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(विकास पंचोली)
सुपरवाइजर अधिकारी
केकडी

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी केम्प कोर्ट)
पीठासीन अधिकारी:- विकास पंचोली (आर.ए.एस)

उनवान

खण्ड लोढा पुत्र नारायणलाल लोढा जाति महाजन निवासी केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

—वादी

♠ बनाम ♠

देवी पत्नि रामनिवास माली निवासी पुराना कोटा रोड बालाजी मंदिर के पास केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर

पुत्र कुमार पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी धून्धरी घाटी रोड अजमेर जिला अजमेर
स्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र:- अंतर्गत धारा अन्तर्गत धारा 53,88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर:- राजस्व वाद 297/2022 (2022/787)

निर्णय दिनांक:- 19/05/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रुबरु श्री विकास पंचोली आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी बहाजिरी श्री सांवरलाल चौधरी वकील वादी, पैरोकार सरकार जयें तहसीलदार तहसीलदार केकडी हाजिर मुद्दावलाह र हुम दिया जाता है वाद पत्र:- अंतर्गत धारा 53,88,188,209 राज. काश्तकारी अधिनियम का दावा स्वीकार किया ग्राम केकडी के खाता संख्या 2770-2448 में दर्ज खसरा नम्बर 2661/8534 के निर्णय व प्रारम्भिक डिकरी दिनांक 2023 की पालना में बटवारा तहसीलदार केकडी द्वारा निम्नानुसार प्रस्तुत किया है

नाम खातेदार	खसरा नंबर	रकबा	किस्म
खेमचन्द पुत्र नारायण लाल जाति महाजन सा0देह खातेदार	2661/8534/1	0.0643	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0643 है0	
बदाम देवी पत्नि रामनिवास जाति माली सा0देह खातेदार	2661/8534/2	0.0107	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0107 है0	
सुनिल कुमार पुत्र दीनदयाल शर्मा जाति शर्मा सा0देह खातेदार	2661/8534/3	0.0750	बा.उत्तम
	किता 1	रकबा 0.0750 है0	

अतः उपरोक्तानुसार बटवारा स्वीकार किया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अलग अलग व लगाम कायम करे। इस आशय का अंतिम डिकरी पत्र जारी किया जाता है खर्चा फरिक्के अपना अपना वहन करे।

चीज मुबलिक..... बाबत.....
खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....
को अदा करे
बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19/05/23 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

	रूपया	पैसा	मुदयलाह	रूपया	पैसा
मुददई	0	0	स्टाम्प अर्जी दावा	0	0
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वजह सबूत		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान	0	0
मीजान	0	0			

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिक्के का चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

